

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 / 11 / 2019

एम.सी./स्. I / राज / 4 / 2019

// नोटिस //

संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 2156-61/स्था/राज/2010 भोपाल, दिनांक 20.08.2010 द्वारा संस्था में रिक्त सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट के पदों को वॉक इन इंटरव्यू द्वारा भरने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः संस्था में रिक्त पदों का विवरण एवं पदों को भरने हेतु निर्धारित योग्यता एवं शर्तें मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-42/7/1/55 दिनांक 28.08.2007 के अनुसार है।

इस हेतु साक्षात्कार अधिष्ठाता कार्यालय में बुधवार दिनांक 26.11.2019 को दोपहर 12.00 बजे की जायेगी। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु उम्मीदवार एवं आरक्षित श्रेणी SC/ST/OBC के आवेदकों को रुपये 250/- एवं अनारक्षित UR रुपये 500/- लेखा शाखा में निर्धारित शुल्क जमा कर, शाखा क्रमांक 4/स्था/राज/ से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु केवल वह उम्मीदवार पात्र होंगे जो अपने आवेदन छानबीन समिति के समक्ष साक्षात्कार दिनांक 26.11.2019 को 11:00 am बजे तक जमा करेंगे।

सीनियर रेसीडेंट रिक्त पदों की जानकारी SR

S.No.	Subject	ST	SC	OBC	Unreserved	Total
01	C.T. Surgery	01	00	01	01	03
02	Radiodiagnosis	00	00	01	00	01
03	Burn & Plastic Surgery	00	00	00	01	01
04	Medicine	00	00	01	00	01
05	Obstetrics & Gynaecology	00	00	01	01	02
06	Nephrology (Medicine)	00	00	01	01	02
07	Orthopaedics	01	00	00	00	01
08	Surgery	00	00	01	00	01
	<b>Total</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>12</b>

जूनियर रेसीडेंट रिक्त पदों की जानकारी JR

01	Uro Surgery	00	00	01	01	02
02	Dentistry	00	00	01	00	01
03	Nephrology(Medicine)	01	00	00	00	01
	<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>04</b>

नोट:- किसी भी विषय में चयन उपरान्त सीनियर रेसिडेन्ट आगामी एक वर्ष तक किसी अन्य विषय में आवेदन दिये जाने हेतु पात्र नहीं होगा।

वेतन - सीनियर रेसीडेंट - 65000/- (नियत वेतन)

जूनियर रेसीडेंट - 45000/- (नियत वेतन)

अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

## जूनियर रेसीडेंट

1. एम.बी.बी.एस पास कर इंटरनशिप पूर्ण कर ली हो।
2. चिकित्सको की इंटरनशिप साक्षात्कार के दिनांक से पिछले तीन वर्ष में पूर्ण हुई हो इसके पूर्व के चिकित्सक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
3. म.प्र. मेडिकल कौंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र।

**अवधि**— उक्त सभी पदों हेतु प्रथम नियुक्ति एक वर्ष होगी जिसका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष हो सकता है। नियमानुसार एक वर्ष पूर्ण होने पर दो दिन का अंतराल पश्चात अवधि में वृद्धि की जावेगी साथ ही विभागाध्यक्ष द्वारा मूल्यांकन एवं वर्क रिपोर्ट संतोष जनक पाये जाने पर वृद्धि कि जावेगी।

## सीनियर रेसीडेंट

1. एम.डी./एम.एस. /डी.एन.बी./ पी.जी. डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लिया हो, भारत का राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4 नई दिल्ली सोमवार दिनांक 19.08.2019 के अनुसार।
2. निजि प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
3. वह चिकित्सक जो डिग्री या प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन नहीं लगायेंगे या किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन की रसीद नहीं लायेंगे उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से संलग्न छात्रों को द्वारा जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिग्री हेतु आवेदन किए जाने हेतु रसीद लगाना अनिवार्य है।
2. सीनियर रेसिडेन्ट बर्न एवं प्लास्टिक पद के लिए बर्न एवं प्लास्टिक विभाग, में अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

**अवधि** — उक्त सभी सीनियर रेसिडेन्ट के पदों हेतु नियुक्ति एक वर्ष होगी एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

आरक्षित वर्ग के चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने पर सीटें अ.ज.जा. S.T/अ.जा. S.C./अ.पि.व.

**O.B.C. एवं सामान्य Gen.** श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी। आरक्षित वर्ग का चिकित्सक यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आवेदन करता है तो उसे अनारक्षित वर्ग के पद की शूलक राशि जमा करनी होगी।

अन्य शर्तें

1. आवेदन शुल्क — सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 500/- एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रु. 250/- का बैंक ड्रॉफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।
2. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त सभी व्यक्ति मध्य प्रदेश. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के द्वारा शासित होगा।
3. इन नियमों के अंतर्गत दोनो पक्षों में से किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
4. सेवारत उम्मीदवारों को आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार आवेदन की मूल प्रति सीधे इस कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन की छायाप्रति अपने विभाग के माध्यम से प्रेषित की जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा आवेदन अग्रेषित नहीं होने पर सेवारत उम्मीदवार के प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। सेवारत उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अपने विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
5. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध के स्थाई प्रमाणपत्र (तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(I) आयु के संबंध में हाईस्कूल/हायर सेकेन्डी परीक्षा प्रमाणपत्र/ उच्चतम आयु एम.सी.आई. मापदण्डानुसार 45 वर्ष होगी।

(II) एम.बी.बी.एस. परीक्षा संबंधी प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।

(III) एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. /डी.एन.बी/डिप्लोमा

(IV) स्नातकोत्तर उपाधि पश्चात अनुभव प्रमाणपत्र (यदि हो)।

(IV) स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी अभि प्रमाणित प्रमाणपत्र।

म.प्र. मेडिकल कौंसिल में सभी मेडिकल डिग्रियों के पंजीयन प्रमाण पत्र । मेडिकल विश्वविद्यालय जबलपुर के एम. सी.आई. से ऐफिलेसन होने तक छूट प्रदान की गई पब्लिकेशन संबंधी प्रमाणपत्र एवं प्रेसेन्टेशन (ओरल/पोस्टर)। ( साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना)

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी । म.प्र. शासकीय, स्वशासी चि.म. वि. के आवेदको को मूल प्रमाण पत्र अधिष्ठाता के पास जमा होने पर अधिष्ठाता द्वारा दिया गया इन अभिलेखों का जमा होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

उम्मीदवार को एम.डी/एम.एस. होने का attempt certificate प्रस्तुत करना होगा।

0. ओ.बी.सी. उम्मीदवार को तहसीलदार/तत्सम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वर्तमान आयु प्रमाण पत्र।

1. चयन के लिए गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये विद्यार्थियों को यथा संभव पहली प्राथमिकता दी जावेगी एवं दूसरी प्राथमिकता म. प्र. के किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण हुये चिकित्सक को दी जावेगी।

2. प्रत्याशी अगर म. प्र. शासन के अंतर्गत ग्रामीण सेवा का अनुबंधित हो तो उस पर म. प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.8.2010 के अनुसार ग्रामीण सेवा संबंधी नियम लागू होगा । चयन होने पर उम्मीदवार को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।

3. इन पदों को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है ।

अधिष्ठाता एवं <sup>11</sup>मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित ।

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल

2. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू

चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, होस्टल ब्लॉक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल